


सहायक कलक्टर  
अलवर (राज०)

22/11/19

2018  
367  
लोकेश

वकील कार्डी उपर प्रतिकारीण की  
तकवी हेतु तक्रार रफि अफ एडी पेव  
कले हेतु वादी के दि० 11/10/19 व 15/11/19  
को न्यायहित में अस्मिन् अवसर दिये  
जाने के उपरान्त भी वकील वादी ने तक्रारी  
हेतु तक्रार पेश नहीं किये। अतः प्राप्य  
अन्तर्गत धारा 09 ROS CPC के तहत  
प्राप्य प्राची अदक तकमील (NON-  
compliance से खाति किफा काठारी  
अतः पञ्जाकनी नम्बर से कठारीका  
नाम तकमील मुकदमा के साथ मलगत  
है सुनाया गया।

  
सहायक कलक्टर  
अलवर